



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-04012023-241672
CG-HR-E-04012023-241672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]
No. 03]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)
अधिसूचना

गुरुग्राम, 2 जनवरी, 2023

जेईआरसी-29/2023.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, श्री सुनील दत्त शर्मा, निदेशक (वित्त एवं विधि) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./530/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For the State of Goa and Union Territories)****NOTIFICATION**

Gurugram, the 2nd January, 2023

JERC-29/2023.—In terms of Sub-section (1) of Section 15 of Right to Information Act, 2005, Shri Sunil Dutt Sharma, Director (Finance & Law) has been designated as Central Public Information Officer for the purpose of Right to Information Act, 2005.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./530/2022-23]